ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों की भूमिका

*** मधुलिका कुमारी**
शोधार्थी
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

****प्रो. आई. सी. वर्मा**
पूर्व विभागाध्यक्ष सह निदेशक
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

सार–संक्षेप

गांवों का विकास किए बिना देश के विकास की कल्पना अधूरी है। हमारे देश के गाँवों के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। 'पंचायत' ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रथम आधारभूत इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं ग्रामीणों की सकिय सहभागिता को सुनिश्चित करके ग्रामीण विकास के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। अतः ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को एक ही सिक्के के दो पहलू कहना अतिशयोक्ति नहीं है। देश में संविधान के 73 तथा 74 वें संशोधनों के माध्यम से मृतप्राय पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया तथा संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वजह से इनका अस्तित्व भी सुरक्षित हो गया है। इन संशोधनों के कारण इन पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होने के साथ ही वित्तीय संसाधनों की गारंटी प्राप्त हो गई है।

ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है कि गांव में निवास कर रहे लोगों को अधिकारों के प्रति ग्रामीण जनों की जनभागीदारी के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हो सकती समाज के सभी वर्गों का सहयोग पंचायती राज की सफलता के लिए आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों एवं अधिकारों को सही रूप से उपयोग करते हुए विकास मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त भय, आशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि का उन्मूलन पंचायती राज के द्वारा विकास का मार्ग हो सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में छोटे से छोटे स्तर पर विकास कार्य की प्रगति देखी जा सकती है जिसमें ग्रामीण जनता का ध्यान सीधे ग्रामसभा के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं की ओर केन्द्रित करते हुए समस्याओं का समाधान भी ग्रामसभा के माध्यम से किया जा रहा है।

भूमिका

पंचायती राज संस्था एक स्वायत्त निकाय है। यह एक स्थानीय स्वशासन की संस्था है जो अपने आप में विधायिका भी है, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी। यह ग्राम सरकार है जिसे ग्राम स्वराज के लिये काम करना है।

ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्था की तृणमूल स्तर की इकाई है जो इसके "राज" कहे जाने को सार्थकता प्रदान करती है। किसी भी "राज" से सम्बोधित होने वाले तंत्र के सामान्यतः तीन अधिकार होने आवश्यक हैं– कर लगाने का, योजना बनाने एवं क्रियान्वयन करने का और सुरक्षा दल गठित करने एवं संचालन करने का अधिकार। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में केवल ग्राम पंचायत ही ऐसी संस्था है जो "राज" होने की लगभग तीनों शर्तों को पूरा करती है। यह कर भी लगा सकती है, यह अपनी योजना बना कर उस पर अमल भी कर सकती है साथ ही यह ग्राम रक्षा दल के माध्यम से अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था कर सकती है, जो न पंचायत समिति कर सकती है और न ही जिला परिषद।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत ही एकमात्र निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था है जिसे जनता को सीधे, आमने–सामने हो कर, जवाब देना होता है। इसके अलावा अपने अधिकतर कार्यकलापों के लिये मंजूरी लेनी पड़ती है या उनकी राय के अनुरूप निर्णय लेना पड़ता है। इस स्थिति का सामना न तो पंचायत समिति को करना पड़ता है. ना ही जिला परिषद को, ना ही विधान सभा को और ना ही लोक सभा को।

इसलिये ग्राम पंचायत हमारे गणतंत्र की सबसे अनोखी संस्था है। यह अनोखी इसलिये भी है कि यह निर्वाचित सदस्यों की विशुद्ध सभा है। इसका कारण यह है कि ग्राम पंचायत में केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद, विधान सभा, लोक सभा में निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत या किसी और संस्था के लिये निर्वाचित सदस्य भी इसकी बैठक में भाग लेते हैं। यहाँ तक कि इसका मुखिया भी जनता द्वारा ही निर्वाचित होता है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा नहीं।

इसके अलावा ग्राम पंचायत ही हमारी सदियों पुरानी परम्परा से चली आ रही पंचायत व्यवस्था का संस्थागत एवं विकसित रूप है। इसके सदस्यों की संख्या भले ही बढ गई हो, उन्हें चुनने का ढंग बदल गया हो, उनका सामाजिक आधार बदल गया हो पर वे हैं जनता के बीच के ही। वे चुने जाने के बाद कहीं "चले" नहीं जाते हैं। अपने लोगों, अपने चुनने वालों के बीच ही उनका अभिन्न अंग बन कर रहते हैं।

इन्हीं सब कारणों से ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और इसके निर्वाचित सदस्य सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि। उनका उत्तरदायित्व सीधे जनता के प्रति है न कि प्रशासन या शासन के प्रति। इसलिये उनका सशक्त, जागरूक एवं सक्रिय होना पंचायती राज की पहली आवश्यकता है

और निर्णायक लक्ष्य भी। यही कारण है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्र भौगोलिक या प्रशासनिक आधार पर न हो कर जनसंख्या आधारित है।

ग्राम पंचायत की संरचना

ग्राम पंचायत का क्षेत्र लगभग 7000 की जनसंख्या पर जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें एक से अधिक ग्राम (राजस्व गाँव) भी हो सकते हैं। जबकि बड़ी जनसंख्या वाले एक राजस्व गाँव में एक से अधिक ग्राम पंचायतें हो सकती हैं। आधार जनसंख्या ही होगी। हालांकि नाम से ऐसा लगता है कि, अधिनियम में दी गई परिभाषा के मुताबिक, ग्राम पंचायत एक राजस्व गाँव स्तर की पंचायत हो। पर ऐसा है नहीं। राजस्व गाँव तो ग्राम सभा का आधार है, ग्राम पचायत का आधार नहीं।

वास्तव में कई राजस्व गाँव इतने बड़े हैं कि इनमें कई ग्राम पंचायतें हैं और अधिकतर ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कि जिनमें कई राजस्व गाँव है। अतः उन्हें उतनी ही ग्राम सभाएँ करनी पड़ती है। और जिस राजस्व गाँव में कई ग्राम पंचायते हैं वे अपनी अलग–अलग ग्राम सभा गठित करती हैं।

संक्षेप में

- एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं।
- जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित यथा संभव 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है।
- ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है।
- ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव यथा संभव 500 की जनसंख्या पर अधिसूचित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए होता है।

ग्राम पंचायत की बैठक दो माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत कार्यालय में करनी जरूरी है। बैठक की सूचना में बैठक का स्थान, तिथि, समय एवं बैठक में विचारणीय विषय अंकित रहेगा। मुखिया जब भी उचित समझे तब और यदि एक तिहाई सदस्य बैठक करने के लिए लिखकर दें तो मुखिया को 15 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलानी होगी। सात दिनों की सूचना पर साध्धारण बैठक बुलाई जायगी। तीन दिनों की सूचना पर विशेष बैठक बुलाई जायेगी। सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी बैठक में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यदि मुखिया विशेष बैठक 15 दिनों के अन्दर नहीं बुलाता है तो उप–मुखिया या एक–तिहाई सदस्य 15 दिनों के अन्दर किसी दिन यह बैठक बुला सकेंगे। ग्राम पंचायत के सचिव, सदस्यों को बैठक की सूचना देगें।

बैठक का कोरम पूरा करने के लिये आधे निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। यदि कोरम पूरा नहीं हुआ तो एक घंटा तक इन्तजार करने के बाद बैठक स्थगित कर दी जायेगी। स्थगित बैठक अगले दिन या किसी दूसरे दिन के लिये निर्धारित की जाएगी। स्थगित बैठक के लिये भी आधे सदस्यों का हाजिर होना जरूरी है।

कोरम पूर्ति के बगैर ग्रामपंचायत की बैठक नहीं हो सकती। विधि सम्मत कोई निर्णय तब मान्य होगा, जब बैठक में कोरम पूरा होगा। बैठक में निर्णय बहुमत से होगा। यदि किसी मुद्दे पर निर्णय के दौरान मतदान की आवश्यकता हो तब बैठक की अध्यक्षता करने वाला मुखिया या उप–मुखिया अपना वोट देगा और मतों की समानता की स्थति में पुनः वह अपना निर्णायक बोट देगा। किसी बैठक में मुखिया या उप–मुखिया का कोई आर्थिक या व्यक्तिगत हित का मामला हो तो न तो वह अध्यक्षता करेगा, न बैठक में भाग लेगा और न ही मतदान करेगा।

ग्राम पंचायत के कार्य

ग्राम पंचायत के कार्य में शामिल हैं:

1. सामान्य कार्य
   i. पंचायत क्षेत्र के विकास के लिये वार्षिक योजना बनाना,
   ii. वार्षिक बजट बनाना,
   iii. प्राकृतिक संकट में सहायता कार्य करना,
   iv. लोक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना,
   v. स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना,
   vi. गाँवों के आवश्यक आँकड़ों को तैयार करना इत्यादि ।
2. कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है।
3. पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन
4. मत्स्य पालन
5. सामाजिक और फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, ईंधन एवं चारा
6. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
7. ग्रामीण गृह निर्माण
8. पेयजल

9. सड़क, भवन, पुलिया, सेतु, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार साधन
10. सार्वजनिक गलियों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने और उनके रखरखाव के लिये बिजली वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण (बिजलीकरण)
11. गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत
12. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
13. शिक्षा / प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा सहित
14. वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा
15. पुस्तकालय
16. सांस्कृतिक एवं खेल–कूद कार्यकलाप
17. बाजार एवं मेले
18. ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
20. महिला एवं बाल–विकास
21. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्त (कमजोर) व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण
22. कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याण
23. जनवितरण प्रणाली
24. सामुदायिक सम्पत्तियों का रखरखाव
25. धर्मशालाओं, छात्रावासों आदि संस्थानों का निर्माण एवं अनुरक्षण
26. कसाईखानों का निर्माण एवं रखरखाव
27. सार्वजनिक पार्क, खेलकूद का मैदान आदि का रख–रखाव
28. खटालों, काँजी हाऊस तथा ठेला स्टैण्ड का निर्माण एवं रख–रखाव
29. सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादानों की व्यवस्था
30. झोपड़ियों एवं सड़कों का निर्माण एवं नियंत्रण तथा
31. ऐसे अन्य कार्य जो सौंपे जायें।

(ये सभी काम संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पचायत के तीनों स्तरों के

लिये दर्ज किये गये हैं।)

ग्रामीण विकास में पंचायतों की महती भूमिका

गांवों के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना अधूरी है। हमारे देश के गांवों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के प्रथन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 'यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले, जनता के लिए उतना ही लाभदायक है।" इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए देश में 73वें तथा 74वें संशोधन के माध्यम से मृतप्रायः पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया तथा संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वजह से इनका अस्तित्व भी सुरक्षित हो गया। 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को एकरूपता, वित्तीय सुदृढ़ता एवं व्यावहारिकता प्रदान करने हेतु संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन संशोधनों के चलते पंचायतों को प्रशासनिक अधिकारों के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों की भी गारंटी प्राप्त हो गई जोकि बेहद जरूरी भी था। चूंकि वित्तीय रूप से सशक्त तथा स्वावलंबी होने पर ही पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण विकास में सशक्त एवं प्रभावी योगदान सुनिश्चित करना संभव है।

पंचायत में तीनों स्तरों पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का अच्छा परिणाम आया। इसे देखते हुए कई राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिए जाने के बाद देश में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड सहित कई प्रदेशों में महिला पंचायतों ने विकास की नई इबारत लिख दी है।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को कारगर साबित करने में पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान, झारखंड जैसे प्रदेशों में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड में महिलाए पंचायतों में कई काम कर रही हैं। खुद स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन कर आम लोगों को रोजगार से जोड़ रही हैं। कई गांवों में बड़े–बड़े कूप का निर्माण किए जाने के चलते किसान पलायन को विवश नहीं है। लोगों को खुद अपनी पंचायतों में काम मिल रहा है।

देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना को जोड़ने में भी पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को भी अमलीजामा पहनाया जा रहा है। कुछ ही वर्षों में देश के सभी गांवों में घर–घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत लोगों का बीमा कराने तथा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार भी पंचायतों पर केंद्रित योजनाएं बना रही है जिससे लोगों का विकास हो सके।

केंद्र सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है। ग्रामीण व्यापार केंद्रों की स्थापना, ई–प्रशासन योजना आदि के चलते गांवों की तस्वीर बदलने लगी हैं। इससे जहां लोगों में जागरुकता आई है वहीं लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है।

पंचायती राज के सुदृढ होने से राजनीति में नई पीढ़ी का उदय भी हुआ है। सरकार की तरफ से पंचायती राज को और सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे नित नए कदमों से लोगों में नया विश्वास जगा है। सबसे निचली पंचायत ग्रामसभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। पंचायतों में भागीदारी होने से उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरुकता आई है और वे छोटे–छोटे स्वयंसहायता समूहों के जरिए अपना काम कर रही हैं तथा विकास में अपना सहयोग दे रही हैं।

ग्राम पंचायतें कम्प्यूटर और आधुनिक संचार तंत्र इंटरनेट की ऑन लाइन गवर्नेस सुविधाओं से लैस हो रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीणों की दिनचर्चा में घुलती जा रही है। आज देश की करीब 72.2 प्रतिशत आबादी लगभग 2.35 लाख ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामसभाओं से जुड़ी हुई है। ग्रामीण स्वशासन का इतना बड़ा तंत्र और किसी देश में नहीं है। ग्राम विकास के निर्णय के अधिकार ग्रामसभा को सौंप तो दिए गए है किंतु ये अधिकार मुख्यतः पंचायत के सरकारी तंत्र के हाथों में ही सिमट कर रह गए हैं। ग्राम पंचायत में नौकरशाही इतनी शक्तिशाली हो गई है कि पंचायत प्रतिनिधियों के निर्देशों की अवहेलना भी आम हो गई है।

ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु सूचना का अधिकार तथा सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामसभा के निर्देशों का भली–भांति पालन होना चाहिए और ग्राम पंचायतों को भ्रष्टाचारमुक्त करने के लिए सभी ईमानदार सरपंचों, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए। तभी पंचायतों का सही मायने में विकास होगा और पंचायतों के माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति का विकास होगा, इस उद्देश्य के प्रति सरकार भी कृत संकल्प है और पंचायतें भी।

शिक्षा क्षेत्र में पंचायत की भूमिका

केन्द्र सरकार की ओर से पठन–पाठन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर गांव में स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। स्कूलों के निर्माण में जमीन मुहैया कराने का काम ग्राम पंचायत करती है। स्कूल भवन बनने के लिए जो पैसा शासन से भेजा जाता है, उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी सरपंच को दी गई है। सरपंच और संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसे का लेन–देन होता है। इस तरह देखा जाए तो शिक्षा के विस्तार में पंचायत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि अपने गांव

में शिक्षा के विकास के लिए प्रस्ताव पारित कर ब्लॉक के माध्यम से जिला पंचायत को भेज सकती है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी भी पंचायत कर सकती है। शिक्षा व्यवस्था के प्रसार, संसाधनों के विकास में भी ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा विभाग को पंचायती राज के अंतर्गत रखा गया है जबकि कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा विभाग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। लेकिन पंचायत समिति को यह अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत में स्थित स्कूल में तैनात लापरवाही बरतने वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बारे में उच्चाधिकारियों को लिख सकती है। इसके अलावा विद्यालय में बढ़ने वाले पोषाहार, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति वितरण भी ग्राम पंचायत समिति अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही होता है। इसके लिए बाकायदा ग्राम स्तर पर शिक्षा समिति बनाई जाती है, जिसमें वार्ड मेम्बर होते हैं और एक मेम्बर को समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। यह समिति सरपंच की सलाह से काम करती है। समिति की जिम्मेदारी होती है कि वह शिक्षा के संसाधनों के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करें और उस प्रस्ताव को क्षेत्र पंचायत कार्यालय के माध्यम से जिला पंचायत तक पहुंचाएं। स्कूल में अध्यापकों की कमी होने पर ग्राम पंचायत शिक्षामित्र की नियुक्ति कर सकती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र, सतत शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदि की निगरानी भी ग्राम पंचायत करती है।

पेयजल, जलनिकासी एवं स्वच्छता में पंचायत की भूमिका

केन्द्र एवं राज्य सरकार की कोशिश होती है कि गांव में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। इसके लिए सरकार की ओर से बाकायदा पेयजल मिशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य मदों से भी पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। गांव–गांव में हैंडपंप की व्यवस्था की जा रही है, जिन स्थानों पर हैंडपंप संभव नहीं है वहां पाइप लाइन के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। कुछ स्थानों पर कुएं खुदवाने के साथ ही टांके और टंकी भी बनवाई जा रही है। सरकारी स्तर पर पेयजल संबंधी होने बाले हर काम का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की ओर से तैयार किया जाता है। ग्राम पंचायत की साधारण सभा की बैठक में तय किया जाता है कि किन स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की जानी है और किन स्थानों पर जलनिकासी की व्यवस्था करनी है। इसके लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव पास कर नालियों का निर्माण कराया जाता है। जिन स्थानों पर पानी का अधिक बहाव है वहां पुलिया बनाई जाती है। इसके लिए ग्राम पंचायतों की ओर से ग्रामसभा में सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रखनी होती है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर बकायदा सफाईकर्मी की नियुक्ति की गई है। सफाईकर्मी के वेतन भुगतान एवं उसके कार्यों की समीक्षा की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की है।

आवास विकास में पंचायत की भूमिका

केन्द्र सरकार की ओर से चल रही विभिन्न योजनाओं के अलावा इंदिरा आवास (अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास) का प्रस्ताव ग्राम पंचायत को तय करना पड़ता है। ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि वह ग्रामसभा की बैठक में लोगों से प्रस्ताव मांगे। फिर वरीयता के आधार पर जरूरतमंद लोगों का चयन करें। ग्राम पंचायत शासन की ओर से मिलने वाले धन से ग्रामसभा में निवास करने वालों को आवास के लिए धन उपलब्ध करा सकती है। इसके अलावा आवास संबंधी अन्य योजनाओं के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की ही होती है। ग्राम पंचायत की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के आधार पर ही क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत प्रस्ताव पारित कर सकती है। गांवों के विद्युतीकरण आदि की व्यवस्था करने के बाबत भी पंचायत प्रस्ताव तैयार करती है।

कानून एवं व्यवस्था में पंचायत की भूमिका

गांव में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए ग्राम पंचायत की ओर से समिति का गठन किया जाता है। गांव में होने वाले किसी भी विवाद को आपसी समझाइश के आधार पर यह समिति निस्तारित करती है। अब पुलिस की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षा समितियों का गठन किया जाता है।

रोजगार सृजन में पंचायत की भूमिका

केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए ग्राम पंचायत गांव के लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। इसके अलावा गांव के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही दूसरी अन्य योजनाओं में भी ग्राम पंचायत की अहम भूमिका होती है। पंचायत तीनों स्तर पर विकास योजनाओं के संबंध में प्रस्ताव तैयार करती है। हालांकि मूल रूप से प्रस्ताव ग्राम पंचायत स्तर पर बने या जिला पंचायत स्तर पर लेकिन विकास तो गांवों में ही होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि गांवों के विकास के लिए केन्द्र सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है, उसके क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

ग्राम पंचायत की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसके विभिन्न अंग ठीक से काम करें। ये अंग हैं स्वयं वोटर जो ग्राम सभा के सदस्य के रूप में सक्रिय होते हैं, निगरानी समितियाँ जिनका गठन ग्राम सभा में होता है, ग्राम पंचायत सदस्य जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है, उप–मुखिया,

मुखिया एवं स्थायी समिति जिनका गठन ग्राम पंचायत करता है। इन सब की अपनी–अपनी भूमिकायें हैं, जिसमें थोड़ी–सी भी कमी आने पर ग्राम पंचायत के पूरे काम पर असर पड़ता है।

स्वयं वोटरों की भूमिका सिर्फ वोट देने से समाप्त नहीं होती। इसके लिए आवश्यक है कि वे ग्राम सभा की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लें और अपनी बात रखें तथा अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से ग्राम पंचायत की बैठक में अपनी समस्याओं को रखवायें। निगरानी समिति के गठन में भाग लेकर स्वयं ग्राम पंचायत के कामों पर नजर रखें तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता दान देकर उसको ठीक ढंग से लागू करवायें। निगरानी समितियां जितनी सक्रिय होंगी उतनी ही अधिक अच्छी तरह से ग्राम पंचायत के कार्य कलापों पर नजर रखी जा सकेगी तथा ग्राम सभा में उन पर चर्चा की जा सकेगी।

ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका है कि वे अधिक–से–अधिक संख्या में अपने क्षेत्रों के वोटरों (ग्राम सभा सदस्यों) को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने के लिये उत्प्रेरित करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को ग्राम पंचायत की बैठक में उसके निदान हेतु रखें तथा स्थायी समिति में सक्रिय सदस्य की भूमिका निभायें। इसके अतिरिक्त, अपने क्षेत्र का आँकड़ा आदि इकट्ठा करने में, सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को सही मंच पर रखने का काम करें। उप–मुखिया की भूमिका को लोग महत्व नहीं देते। पर ऐसा नहीं। उसकी भूमिका मुखिया की अनुपस्थिति में तो है ही, पर उसके अलावा भी वह सामान्य स्थिति में ग्राम पंचायत के संस्थागत प्रबन्धन में तथा स्थायी समितियों के काम–काज में अहम भूमिका निभा सकता है।

मुखिया ग्राम पंचायत का मुख्य प्रतिनिधि होता है। अगर वह अच्छा प्रबन्धक, नियोजक एवं संगठनकर्ता है तो सारा ग्राम पंचायत सामाजिक एवं आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। इसीलिये, सामान्यतः लोग ग्राम पंचायत का मतलब मुखिया समझने की गलती करते हैं। परन्तु ऐसा है नहीं। मुखिया ग्राम पंचायत का केवल प्रधान कार्यकर्ता है जिस पर ग्राम–सभा, ग्राम पंचायत एवं स्थायी समितियों का बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। एक सफल मुखिया ही पंचायत समिति या अन्य मंचों पर अपने पंचायत की बातों को ठीक से रख सकता है।

छह स्थायी समितियों की भूमिका ग्राम पंचायत में होने वाले सारे कार्य कलापों के करने से है। इसीलिये इन समितियों का उत्तरदायित्त्व सीधे अपने क्षेत्र के समाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड जाता है। ये समितियां वास्तव में ग्राम पंचायत की रीढ़ हैं। ये ग्राम पंचायत के प्रजातांत्रिक स्वरूप के परिचायक हैं। इनमें परस्पर समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

सन्दर्भ :

1. *अग्रवाल, प्रमोद कुमार (2015), भारत में पंचायती राज, ज्ञान गंगा, दिल्ली.*
2. *कुमारी, सोनी (2014), पंचायती राज प्रणाली में जन सहभागिता, कुरुक्षेत्र, वर्ष 60 , अंक 3, जनवरी, पृष्ठ 4.*
3. *खत्री, हरीश कुमार (2017), भारत में पंचायती राज, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल.*
4. *बैरागी, विनोद नारायण दास (2016), पंचायती राज व्यवस्था, पराग प्रकाशन, कानपुर.*
5. *मोदी, अनीता (2010), ग्रामीण विकास और पंचायतें, कुरुक्षेत्र,वर्ष 60, अंक 3, जनवरी, पृष्ठ 9–17.*
6. *यादव, राम जी (2019), भारत में ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली.*
7. *यादव, शंभू नाथ (2010), निरंतर विकास और पंचायत की भूमिका, कुरुक्षेत्र, वर्ष 56, अंक 12, अक्टूबर, पृष्ठ 3.*
8. *सिंह, चौधरी वीरेंद्र (2015), पंचायतों की सक्षमता बढ़ाने पर जोर, कुरुक्षेत्र, वर्ष 62, अंक 1, नवंबर, पृष्ठ 24.*
9. *सिंह, जिले (2016), ग्रामीण विकास की चुनौतियां, विश्व भारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.*
10. *सिंह, सुरेंद्र बहादुर (2011), पंचायती राज से बेहतर हुआ ग्रामीण प्रशासन, कुरुक्षेत्र, वर्ष 57, अंक 10, अगस्त, पृष्ठ 8.*
11. *73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, भारत सरकार, नई दिल्ली.*